झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– वा0कर1 / विविध / 22 / 2010 – 5696 / राँची, दिनांक – 12/11/13

प्रेषक,

एम0 आर0 मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (वैट ऑडिट) / (अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– वाणिज्य–कर विभाग में झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 74 एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 3 (B) के अधीन व्यवसायियों को ऑनलाईन कर समाहितकरण योजना (*Tax Composition Scheme*) के विकल्प प्रकिया के सरलीकरण के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना संख्या एस0ओ0 28 दिनांक 10.10.2013 एवं एस0ओ0 29 दिनांक 10.10.2013

महोदय / महोदया,

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा व्यवसायियों को सुविधा प्रदान करने हेतु मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अधीन स्वचालन (Automation) पर विशेष महत्व दिया गया है ताकि स्वतः–स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) कर व्यवस्था स्थापित की जा सके।

आप अवगत हैं कि झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 में तथा सुसंगत नियमावली, 2006 के नियम 60 में विहित कर समाहितकरण योजना (*Tax Composition Scheme*) प्रावधानित / विहित है। प्रासंगिक अधिसूचनाओं द्वारा वाणिज्य–कर विभाग ने छोटे व्यवसायियों के लिए जिनका सकल आवर्त्त पच्चीस लाख रूपये तक है (कार्य–संवेदक को छोड़कर), कर समाहितकरण योजना प्रारंभ की गयी है। छोटे व्यवसायियों द्वारा उक्त योजना के अधीन कर–समाहितकरण योजना के विकल्प के चुनाव के उपरांत निबंधन की प्रकिया को सरलीकृत किया जाता है।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 4 के अन्तर्गत विहित निबंधन की प्रकिया को सरलीकृत करते हुए **दिनांक 15.11.2013** के प्रभाव से JVAT 101 *(झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन विहित निबंधन आवेदन पत्र)* तथा JVAT 103 *(झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन विहित कर समाहितकरण हेतु विहित निबंधन आवेदन पत्र)* को साथ–साथ भरने तथा JVAT 106 *(झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन विहित निबंधन प्रमाण पत्र)* एवं JVAT 108 *(झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन विहित कर समाहितकरण हेतु निबंधन प्रमाण–पत्र)* के साथ–साथ निर्गमन हेतु निम्नवत् प्रकिया विहित की जाती हैः–

1. ऑनलाईन निबंधन हेतु तैयार प्रपत्र **JVAT 101 (Annexure)** सहित आवेदन भरना–

आवेदन भरने की प्रकिया (विभागीय संकल्प संख्या 211 दिनांक 01.02.2011 (झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन निर्गत) के समतुल्य होगी। व्यवसायी द्वारा ऑनलाईन **JVAT 101** भरने के क्रम में *Composition* का विकल्प (*option*) देना होगा। सकारात्मक विकल्प देने पर ऐसे इच्छुक व्यवसायी को **JVAT 101** भरने के क्रम में छोटे व्यवसायियों के व्यवहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए आवेदन के साथ पैन (*PAN*) की अनिवार्यता को शिथिल किया जाता है। ***ऐसे व्यवसायियों को निबंधन प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि में पैन (PAN) समर्पित करना अनिवार्य होगा।***

व्यवसायी द्वारा **JVAT 101** भरने के उपरांत सॉफ्टवेयर द्वारा भरा हुआ *Composition* हेतु निबंधन आवेदन पत्र **JAT 103** स्वतः प्रदर्शित होगा।

2. ऐसे व्यवसायियों को झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 5 के अधीन प्रावधानित किसी प्रकार की प्रतिभूति (**security**) समर्पित करने की अनिवार्यता नही होगी।
3. अंचल प्रभारी द्वारा ऐसे प्राप्त ऑनलाईन दाखिल आवेदनों को सत्यापित किया जाएगा। तदोपरांत उनके द्वारा आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के अन्दर व्यवसायी को एक **SMS/e-mail** प्रेषित किया जाएगा जिसके द्वारा उन्हें निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक कागजातों यथा–पहचान प्रमाण पत्रों (**Identity Proof**) के साथ कागजातों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी।
4. आवदेक व्यवसायी हस्ताक्षरित आवेदन की प्रतियों (**JVAT 101** एवं **JVAT 103**) तथा आवश्यक कागजातों (पहचान प्रमाण) के साथ अंचल प्रभारी के समक्ष उपस्थित होंगे।
5. समस्त कागजातों की जॉच होने तथा अंचल प्रभारी के संतुष्टि के उपरांत उनके द्वारा **TIN** तथा दोनों निबंधन प्रमाण–पत्र (**JVAT 106** एवं **JVAT 108**) निर्गत किया जाएगा।
6. उक्त सुविधा उत्पादक व्यवसायी या आयातक व्यवसायी या अन्तर्राज्य विक्रेता व्यवसायी या शराब के विक्रेता व्यवसायियों को अनुमान्य नही होगा। *मात्र खुदरा व्यवसायी ही उक्त सुविधा का लाभ ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यवसायी राज्यान्तर्गत ही कय एवं विकय कर सकेंगे।*
7. इस सुविधा का लाभ लेने वाले व्यवसायियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत *25 अप्रैल* तक **JVAT 215** में मात्र वार्षिक विवरणी दाखिल करनी होगी।
8. ऐसे व्यवसायियों को विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में अपने सकल आवर्त्त का 0.5 प्रतिशत देय कर की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के अंतिम माह कमशः 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं माह मार्च के 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से करना होगा।
9. कर समाहितकरण योजना (*Tax Composition Scheme*) की सुविधा लेने वाले व्यवसायियों को राज्य के बाहर से सामान मंगाने एवं राज्य के बाहर सामान भेजने की सुविधा नही होगी। ऐसे व्यवसायी **Tax invoice** निर्गत नही कर पाएंगे एवं वे किसी प्रकार की कर वसूली नही कर पाएँगे। उन्हें *Input Tax Credit (ITC)* की सुविधा अनुमान्य नही होगी।
10. ऐसे व्यवसायियों पर झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35, 36 तथा 37 के अधीन कर निर्धारण/औपबंधिक कर निर्धारण/ऑडिट कर निर्धारण के प्रावधान लागू नही होंगे।
11. ऐसे व्यवसायियों के प्रतिष्ठान का निरीक्षण आयुक्त के पूर्वानुमति के बिना नही की जाएगी।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर **e-governance** के उदेश्य से यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किये जा सकेंगे।

विश्वासभाजन

2.11.13

(एम0आर0मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।